ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, **PP-7-10**,YEAR-2013

''दलित एवम् अल्पांसंख्यक लोगों के अधिकार अपने राष्ट्र के विशेष सन्दर्भ में''

❑ डॉ0 अतुल कुमार यादव

विगत 60 वर्शों में भारत के दलितों ने अपने उत्थान के अनेक सोपान देखे हैं। दलितों को एक वोट बैंक की तरह प्रयुक्त करते हुये राजनीतिज्ञों ने उनके विकास हेतु अनेक योजनायें और कार्यक्रम भी चलाये हैं। इससे राजनीतिक स्तर पर दलितों में सक्रियता की भावना तो जागृत हुई है और सामाजिक धरातल पर वे काफी कुछ सम्मानजनक स्थिति में स्वयं को महसूस करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को इस बात का श्रेय तो जाता है कि उसने चुनावों में की जाने वाली धांधलियों से भाोशित और उपेक्षित दलित महिलाओं ने पंचायती राज्य संस्थाओं और स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर, निर्णयन के सबसे निचले पायदान पर ही सही, अपने सीमित किन्तु सुभोग्या अनुभव के आधार पर दलितोत्थान को एक नई दि ाा दी है। लेकिन आर्थिक धरातल पर दलित अभी भी गैर दलितों की तुलना में बहुत पीछे है। मानव विकास के सभी प्राचलों–प्रतिव्यक्ति आय, ज्ञान और साक्षरता, जीवन प्रत्या ाा के मामलों में वे समाज के सबसे निचले पायदार पर है।

ऐतिहासिक पृश्ठभूमि– स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर और महात्मा गांधी आदि ने दलितोत्थान के लिए सक्रिय प्रयास किये। उनके साथ बराबरी का व्यवहार किये जाने की बात ही नहीं कही गई बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत भी किया गया। परिवर्तन की आँधी ने समाज के सबसे निचले पायदान पर अपने 'भाग्य' और 'कर्मों' को कोसते मानव से ही उपेक्षित और भाोशित उत्पीड़ित करोड़ों दलितों को साविधानिक अधिकारों के तहत जब तथाकथित ऊँची जातियों के बराबर लाकर खड़ा किया तो बौद्धिक सत्ता पर काबिज ब्राह्मणों, राजनीतिक सत्ता पर काबिज क्षत्रियों तथा आर्थिक सत्ता पर काबिज वै यों को अच्छा तो नहीं लगा लेकिन वे यह भाँप चुके थे कि व्यक्तिवाद की पोशक और समर्थक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हे बराबरी पर आधारित इस सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन की परिणति को स्वीकार करना ही होगा। अब चाहे वे इसे मन से स्वीकार करें या न मन से झेंलें।

परिवर्तन की इस आँधी में कुछ झोपड़े उजड़े भी है, लेकिन विभेद का कूड़ा–कचरा तो साफ हो ही गया है। ि ाक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठाकर आज लाखों दलित ि ाक्षित होकर सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन है। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ उठाकर दलित न केवल सांसद–विधायक चुने गये हैं, बल्कि मंत्री मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने अपनी प्र ाासनिक क्षमताओं का लोहा मनवाया है। कल के दलित और अछूत आज के वैज्ञानिक, प्राध्यापक, वकील, विचारक, साहित्यकार है। आर्थिक जगत में दलितों को जहाँ कही अवसर मिला है, वहीं उन्होंने कु ाल कारीगर के रूप में, उद्यमी के रूप में अपनी योग्यताओं–कर्मठता, जुझारूपन का लोहा माना है।

स्वतंत्र भारत में दलितोत्थान क्षेत्र में उपलब्धियाँ का मूल्याकंन – दलितोद्वारा की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह रही कि भारत के करोड़ों दलितो–अछूतों ने अम्बेडकर वादियों की इस अवधारणा को किसी भी स्तर पर इस रूप में स्वीकार नहीं किया कि दलित (अछूत) और हिन्दू अलग–अलग हैं। खान–पान, आचार–विचार, रहन–सहन,

विभागाध्यक्ष, समाज ाास्त्र ए.के. (पी.के.) कालेज ि ाकोहाबाद (उ.प्र.) भारत

पूजा–अर्चना, तीज–त्योहार, रीति–रिवाज की दृश्टि से दलित हिन्दू थे, हिन्दू है और हिन्दू रहेंगे। उनका अस्तित्व और विकास हिन्दू समाज में ही है। आज के अम्बेडकरवादी यह अफसोस करते है कि पूना पैक्ट से वे पृथक मताधिकार अथवा 'अछूतिस्तान' से वंचित हो गये।

भारत के दलित अपने समाज, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। उन्होंने अपने विकास और उत्थान का मार्ग हिन्दू समाज के समग्र विकास में खोजा। डॉ0 अम्बेडकर असाधारण व्यक्तित्व के विद्वान थे। उन्होंने यह तथ्य समझा और स्वीकार किया कि वट वृक्ष के पत्तों, भााख, उप– ााख का अस्तित्व उसी समय तक है जब तक वे वट वृक्ष से जुड़े है। पेड़ से अलग होते ही पत्ता अस्तित्वहीन हो जाता है। इसी विचार और भावना के तहत उन्होंने अछूतों के हितों को समग्र के साथ जुड़े रहने में देखा। उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने उन व्यवस्थाओं, कुरीतियों, प्रक्रियाओं पर प्रहार किया जो दलितों के भाोशण के लिए उत्तरादायी थी। भारतीय संविधान के तहत दलितों–अछूतों–आदिवासियों की बराबरी के स्तर पर लाने के लिए दुहरी व्यवस्था की गयी। प्रथम, विधि के समक्ष, समानता, (अनुच्छेद–14); धर्म, मूल वं ा, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध (अनुच्छेद–15); लोक नियोजन के विशय में अवसर की समानता (अनुच्छेद–16); अस्पृ यता का अन्त (अनुच्छेद–17); वाक–स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति स्वतंत्रय, भाांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, संगम या संघ बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र अवाद्य संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा कोई क्रान्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद–19); अपराधों के लिये दोश सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद–20); प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद–21); कतिपय द ााओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण (अनुच्छेद–22); मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिशेध (अनुच्छेद–23); अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद–25); धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद–26); जैसे मौलिक अधिकार समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के प्रदान कराने का दायित्व राज्य का है। द्वितीय, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं, सरकारी सेवाओं एवं पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (अनुच्छेद–330, 332, 335); करके कानून बनाने एवं उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में दलितों की भागीदारी सुनि िचत की गयी। इसके साथ–साथ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु संवैधानिक संस्था के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। इन संवैधानिक प्रावध ाानों के समान्तर विकासात्मक कार्यक्रमों, निर्धनता निवारण तथा रोजगार प्रदायी कार्यक्रमों में 40–50 प्रति ात आवंटन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करके उन्हें आर्थिक दृश्टि से स्वावलम्बी बनाने की दि ाा में उल्लेखनीय कार्य किया गया।

दलितों का आर्थिक स्तर :

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में कार्य सहभागिता दर तो सदैव ही ऊँची रही है क्योंकि पेट भरने तथा जीवित रहने के लिए इनहें मिल गया रोजगार तला ाना पड़ा है। चूँकि आर्थिक संसाधनों पर, वैयक्तिक एवं समाज के इनका स्वामित्व न के बराबर था इसलिए इन्हें अपने उदरपूर्ति हेतु सर्वाधिक घृणित एवं निम्न कोटि के समझे जाने वाले व्यवस्था, चमड़ा परि ाोधन एवं जूता बनाना, कपड़े धोना, मैला उठाना और भाौचालय साफ करना, डलिया बनाना, बान–बुनना, दोना–पत्तल बनाना, मरे हुए जानवर उठाना तथा उनके भावों का निस्तारण करना आदि करने पड़े, लेकिन अब स्थिति में व्यापक तौर पर बदलाव आ गया है। राजनीतिक एवं वैचारिक जागरूकता से दलित अब अपने पु तैनी धन्धे छोड़ रहे है। भूमि सुधारों से लाभान्वित होकर वे कृशक या कृशि श्रमिक बन गये है। दलितों की विडम्बना यह है कि उनमें से जो आय सूचनात्मक कार्य करने की स्थिति में है उनमें से अधिकां ा

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

दलितों को प्राप्त होने वाले अधिकारों का उल्लेख :

1. बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू किया जाए। दलितों के बीच बाल मजदूरी को तत्काल खत्म किया जाए। इसके लिए सम्बन्धित कानूनो में जरूरत के मुताबित सं ोधन किए जाए।
2. संविधान के अनुच्छेद–21 में सं ोधन किया जाए तॉकि नागरिकों, खास तौर से अनुसूचित जाति–जनजाति को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, आवास, कपड़ा, सामाजिक सुरक्षा आदि बुनियादी सेवाएं हासिल करने का अधिकार हो। कम आमदनी वाले दलितों को गुजार लायक मजदूरी, पाँच एकड़ कृशि योग्य भूमि या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलें।
3. दलितों के लिए निः ुल्क व अनिवार्य व्यवस्था तत्काल लागू हो। दलित क्षेत्रों के स्कूलों में बेहतर सुविधाएं हों और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के जरिए दलितों को बाजारोन्मुखी ि ाक्षा दी जाए। दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा निरक्षरों की संस्था के अनुपात को देखते हुए धनरा ि आवंटित की जाए।
4. दलित महिलाओं को वि ोश महिला श्रेणी में भाामिल किया जाए। इसके मुताबित जनगणना रिपोर्ट, क्रियान्वयन रिपोर्ट और विकास रिपोर्ट में उनके लिए अलग से आँकड़े हो। इन्हें विकास योजनाओं द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किए जाए। राश्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग को निर्द ा दिया जाए कि वे इस श्रेणी की महिलाओं की स्थिति का आकलन अपनी वार्शिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
5. हाथ से मैला साफ कराने जैसी अपमानजनक व्यवस्था तत्काल समाप्त कर दी जाए। इस पे ो में भाामिल दलितों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम और वैकल्पित रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
6. न्याय पालिका एवं रक्षा में दलितों के लिए तय आरक्षण जाति का पालन हो। न्याय पालिका में नामांकन प्रणाली खत्म करके नियुक्ति प्रक्रिया को पारद ी बनाया जाए।
7. संसद व राज्य विधानसभाओं को पिछले 25 वर्शों के दौरान आरक्षण की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी वार्शिक रिपोर्ट चर्चा के लिए उपलब्ध ा कराई जाए। दलितों के खाली पड़े आरक्षित पदों को तत्काल भरा जाए और उन पदों पर सिर्फ दलित उम्मीदार ही नियुक्त किए जाए।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न :

धार्मिक एवं भाशायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किये है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये है। संविध ाान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आ वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवं ा, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने की छूट दी गयी है। अनुच्छेद 26 में ध ार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने, अनुच्छेद 27 में धर्म का प्रचार–प्रसार हेतु कर वसूल करने तथा अनुच्छेद 28 में सरकारी ि ाक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी वि ोश भाशा, लिपि एवं संस्कृति को बनाये रखने, सरकारी ि ाक्षण संस्थाओं में प्रवे ा पर धर्म, मूलवं ा, जाति एवं भाशा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 धर्म और भाशा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को ि ाक्षण संस्थाएं स्थापित करने पर उनका प्र ाासन करने का अधिकार देता है।

संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने, उनका पुनरावलोकन करने के लिए सरकार ने कई वि ाष्ट अधिकारियों एवं आयोग की नियुक्ति की है। सन् 1978 में 'अल्पंसख्यक आयोग' की स्थापना की, जिसका एक अध्यक्ष एवं सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होते है। यह कमी ान अन्य कार्यों के अतिरिक्त संविध ाान में किये गये संरक्षण प्रावधानों का मूल्याकंन करने, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुझाव देने, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों को लागू करने, ि ाकायतें सुनने, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु समय–समय पर रिपोर्ट देने का कार्य करता है।

भाशायी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक से एक कमीशन है जो संविधान में भाशायी अल्पसंख्यकों के दिये गये प्रावधानों के बारे में जांच पड़ताल करता है, उनके सम्बन्धित ि ाकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सन् 1983 में केन्द्रीय सरकार ने पृथक से एक 'अल्पसंख्यक प्रकोश्ठ' की स्थापना की जो प्रधानमंत्री के 15 सूची कार्यक्रम का एक भाग है। यह प्रकोश्ठ अल्पसंख्यकों के द्वारा राश्ट्रीय जीवन में पूरी तरह भाग लेने, अल्पसंख्यकों की ि ाकायतों को दूर करने एवं उनके कल्याण कार्यों को देखरेख करता है। कुछ राज्यों ने भी ऐसे प्रकोश्ठों की स्थापना की है। प्रधानमंत्री के 15 सूची कार्यक्रम के मुख्य उद्दे य साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों की ि ाक्षा की आव यकता पर जोर देना, सेवाओं में उनकी भर्ती के लिए प्रयत्न करना तथा 20 सूत्री कार्यक्रमों सहित अन्य विकास कार्यक्रमों के लाभों में उन्हें अपना हिस्सा दिलाना आदि है।

*****